

बनाम

अंधेरा लाल

राजस्थान सरकार

जमिंदार तस्वीर

मुकदमा संख्या / वर्ष

पुनः 59/2020

लखीम साहेब 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21-21		<p>पत्तयली पेडा हुई वकील प्रकीर्ण उपस्थित न्यायाधीश की अ. सं. से मेवाड़ प्रान्त हाइ कोर्ट अ. सं. 2020 22-1-21 को फिलहाल है ✓</p>	
22-21		<p>पत्तयली पेडा हुई वकील प्रकीर्ण उपस्थित न्यायाधीश राजस्थान सरकार जमिंदार तस्वीर - लखीम साहेब जिला जयपुर की कोर्ट की अ. सं. संख्या 2-21/2021/257 दिनांक 15-4-21 द्वारा मेवाड़ प्रान्त कोर्ट जिला को अतिरिक्त दिनांक है। लखीम साहेब-पत्र अतिरिक्त न्यायाधीश 136 न्यायाधीश अतिरिक्त को अ. सं. 1 कोर्ट कोर्ट की वकील प्रकीर्ण को अतिरिक्त न्यायाधीश अतिरिक्त को कोर्ट कोर्ट है लखीम साहेब अतिरिक्त न्यायाधीश परवाह लखीम साहेब की अ. सं. कोर्ट कोर्ट जमिंदार तस्वीर कोर्ट कोर्ट लखीम साहेब जिला जयपुर से दिनांक अतिरिक्त अतिरिक्त 2020, 2021, 210, 211, 213, 215, 224/225 226/230 146 अतिरिक्त 123, 212, 216,</p>	



राजस्थान सरकार

मकरलाल शर्मा वरुण रानी, मालापुरा मंडल
 (ए.डी.ओ. के.डी.)


प्राप्त 59/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>243, 246, 247, 261, 457, 517, 633 723, 726 तथा 242, 251, 252, 253 257 की जमा बंदीपत्रों से प्राथमिकता नामक मकरलाल शर्मा के स्थान पर धर का लोकारा नाम मंडलीलाल (2) का बख्खलाल के स्थान पर का बख्खलाल (3) शक्तिरामलाल शर्मा के स्थान पर कल्याण (4) रत्नलाल शर्मा के स्थान पर चौरमा लक्ष्मण शर्मा के स्थान पर से कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार प्राथमिकता के क्रम में मकर लाल शर्मा के स्थान पर नाम का कब्जा कर लिया। जो रामराम शर्मा से लक्ष्मण शर्मा के कब्जा पर मालापुरा मंडल का प्रमाण क्र. 2021/257 दिनांक 15-12-21 से प्राथमिकता द्वारा चालाक आदेश मालापुरा मंडल अदालत में किया गया। सही कब्जा किया है। बख्खलाल प्राथमिकता पर कब्जा की कर है कर, मालापुरा प्राथमिकता से कब्जा कराना कब्जा कर किया। (मालापुरा प्राथमिकता का) आदेश को मालापुरा मंडल अदालत द्वारा 136 शर्मा लक्ष्मण शर्मा का स्थान पर किया गया है।</p>	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>तहसीलदार सांगेज को लिखित लिखा गया है कि प्रायोजन की कार्यवाही। प्रायोजन कार्य धारा 136 अ-समत्व अधिनियम में कठिन गण आशयाना पत्र द्वारा किया गया है। न.अ.अ.अ. से वापिस तहसील सांगेज को वापस ले लिया गया है। रवाना 200, 204, 210, 211, 213, 215, 225/775, 226 से 230, 49 रवाना 189, 212, 216, 243, 246, 247, 261, 457, 517, 633, 723, 726 एवं रवाना 242, 251, 252 253, 257 के समस्त अधिनियमों में प्रायोजन का नाम ① भवनार शर्मा के स्थान पर भवनार शर्मा ② नारायण शर्मा स्थान पर नारायण शर्मा ③ शंकरलाल शर्मा के स्थान पर शंकरलाल शर्मा ④ शंकरलाल शर्मा के स्थान पर शंकरलाल शर्मा को प्रायोजन के लिए का नाम नारायण शर्मा के स्थान पर शंकरलाल शर्मा का किया है। सही नाम ① भवनार शर्मा पुत्र नारायण शर्मा ② नारायण शर्मा पुत्र नारायण शर्मा ③ शंकरलाल शर्मा पुत्र नारायण शर्मा ④ शंकरलाल पुत्र नारायण शर्मा का किया</p>	

संलग्न अधिकारी

गणराज्य शाही नरुम ककरा रामनरुम प्ररुडि
 ५/५३ ५३/५३५
 ५६-५५५५५५

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.
		<p>किमा जावे / पत्रावली पत्र लक्ष्मण हेकर फरि गरु रके गरु हे गरु तकारीन गरु गरु गरु हे</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी साभानर, जयपुर (द्वितीय)</p>	